प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 26.05.2024

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट का वांछित 25000 रूपये का ईनामी अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 25.05.24 को थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25000 रूपये का ईनामी बदमाश सौरभ शर्मा पुत्र ओमकार शर्मा निवासी ग्राम रोजा जलालपुर थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर को लोकल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र बिसरख कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर से गिरफ्तार किया गया जो थाना कविनगर पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष मधुबन बापूधाम द्वारा की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त –

1. सौरभ शर्मा पुत्र ओमकार शर्मा निवासी ग्राम रोजा जलालपुर थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त

अभियुक्त सौरभ शर्मा उपरोक्त के विरुद्ध कुल 02 अभियोग पंजीकृत है, जिनमें थाना कविनगर पर 01 अभियोग लूट/डकैती से संबंधित, 01 अभियोग गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम

थाना लोनी पुलिस द्वारा विपक्षियों को फंसाने के उद्देश्य से षड्यंत्र रचकर स्वयं को गोली लगवाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 14.05.2024 को थाना लोनी पर वादी तेजवीर पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम सिरौली द्वारा तहरीर दी गई कि विपक्षियों ने मेरे भाई को गोली मारकर घायल कर दिया है जिसमें धारा-307 भादवि बनाम रजत व प्रशान्त पुत्रगण नरेन्द्र निवासी ग्राम ढिकौली थाना चाँदीनगर जिला बागपत के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। दौराने विवेचना पाया गया कि उक्त घटना षड्यंत्र रचकर विपक्षीगण को फंसाने के उद्देश्य की गई थी, मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य के आधार पर धारा-307 भादवि का लोप कर धारा-326/120बी/420/182 भादवि की वृद्धि की गयी तथा प्रकाश में आए वांछित अभियुक्त की तलाश हेतु तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त सतपाल उर्फ सचिन पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम सिरौली थाना लोनी जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त सतपाल उर्फ सचिन ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरा, रजत व प्रशान्त के साथ भैंसों का व्यापार व पैसों का लेनदेन था जिसमें एक फैसले में मुझे विपक्षीगण को अपनी भैंस व पैसा देना पड़ा था। जिस पर मैंने रजत व प्रशान्त को झूठा मुकदमे में फंसाने के लिये अपने भांजे व उसके साथी बन्टी के साथ मिलकर षडयंत्र रचकर जालसाजी करके अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिये रजत व प्रशान्त को अनुचित रुप से अपहानि कारित करने और उन्हें जेल भिजवाने के लिये बन्टी व उसके साथी से अपने पैर में गोली लगवाई और रजत व प्रशान्त के नाम एफआईआर में झूठा दर्ज करा देना बताया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

सतपाल उर्फ सचिन पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम सिरौली थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र 40 वर्ष।

अपराधिक इतिहास

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर उक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना लोनी पुलिस टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा 02 अंतर्राज्यीय वाहन चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 06 मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 26-05-2024 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान बाल्मीकि बस्ती के पास से 02 अंतर्राज्यीय वाहन चोर अभियुक्तों 1. निखिल पुत्र देवेन्द्र निवासी सी-28 मेन रोड जौहरीपुर, लकी मेडिकल के पास, थाना करावल नगर, दिल्ली उम्र करीब 23 वर्ष 2. शाहनवाज पुत्र इन्साफ अली निवासी ई-210 25 फुटा रोड, चांदबाग भजनपुरा थाना गोकुलपुरी, दिल्ली उम्र 25 वर्ष को चोरी की मोटरसाइकिल पल्सर के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके उपरांत पूछताछ में अभियुक्तों की निशादेही पर 05 अन्य चोरी की मोटरसाइकिल प्याऊ के पास चौकी क्षेत्र लाल बाग़ से बरामद हुई। उक्त मोटरसाइकिलों के सम्बन्ध में थाना अंकुर विहार व अन्य थानों तथा दिल्ली के थानों पर चोरी के अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त निखिल तथा शाहनवाज ने पूछने पर बताया कि हम लोग दिल्ली एवं एनसीआर के इलाके में वाहन चोरी करते हैं तथा चोरी किए गए वाहनों को अपनी तथा अपने पारिवारिक जनों की बीमारी का बहाना बनाकर और खुद को असहाय बताकर राहगीरों को औने पोने दाम में बेच देते है। पिछले कुछ दिनों में चोरी की गई मोटरसाइकिलो को हमने यहीं पर प्याऊ के पास किकरो में छिपा रखा था जिनको आपने बरामद कर लिया है |

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1. निखिल पुत्र देवेन्द्र निवासी सी-28 मेन रोड जौहरीपुर, लकी मेडिकल के पास, थाना करावल नगर, दिल्ली उम्र करीब 23 वर्ष
2. शाहनवाज पुत्र इन्साफ अली निवासी ई-210 25 फुटा रोड, चांदबाग भजनपुरा थाना गोकुलपुरी, दिल्ली उम्र 25 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

1.रजि0 नं0 DL5SDE4809 चेचिस नं0 MD2A36FX0RCL55307 व इंजन नं JLXCRL94458, रंग सफेद माडल पल्सर एनएस 200

2.रजि0 नं0 UP13BD6718 चेचिस नं0 MBLJAR158JGF077216 व इंजन नं JA06ETJGF08901, माडल पैशन एक्स प्रो, रंग काला

3.रजि0 नं0 DL7SBX7388 चेचिस नं0 MBLHA10CGGHA43434 व इंजन नं HA10ERGHA53444, माडल स्पैलन्डर प्लस, रंग काला

4.रजि0 नं0 DL3SEA7043 चेचिस नं0 MBLHA10CGGHA43434 व इंजन नं HA10ERGHA53444, माडल अपाचे आरटीआर 180, रंग सफेद

5.रजि0 नं0 DL7SBR6575 चेचिस नं0 MBLHA10BSFHL31597 व इंजन नं HA10EVFHL34436, माडल पैशन प्रो, रंग लाल काला

6.रजि0 नं0 DL14SH6434 चेचिस नं0 MBLHA10BSFHL11867 व इंजन नं HA10EVFHK68851, माडल पैशन प्रो, रंग काला

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त निखिल के विरुद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी के 03 एवं दिल्ली के थानों पर वाहन चोरी के 07 अभियोग तथा अभियुक्त शाहनवाज के विरुद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी के 04 एवं दिल्ली के थानों पर वाहन चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम

थाना लोनी पुलिस द्वारा एनसीआर से वाहन चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल व 01 मोटरसाइकिल कटी हुई बरामद।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 25.05.2024 को रात्रि में चेकिंग के दौरान चौकी क्षेत्र तिराहा से एनसीआर से वाहन चोरी करने वाले 01 शातिर अभियुक्त आसिफ पुत्र आरिफ निवासी 20 फुटा रोड प्रेमनगर कस्बा व थाना लोनी गाजियाबाद को चोरी की 01 मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस व 01 मोटरसाइकिल हीरो होण्डा सीडी डीलक्स कटी हुई सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त एक शातिर चोर अपराधी है तथा दिल्ली एनसीआर से वाहन चोरी करता है। चोरी कर वाहनों को सस्ते दामों में बेचकर पैसा कमाता है। अभियुक्त से बरामद मोटरसाइकिल जो इसके द्वारा दिल्ली से चोरी की गई बताया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

आसिफ पुत्र आरिफ निवासी 20 फुटा रोड प्रेमनगर कस्बा व थाना लोनी, उम्र करीब 26 वर्ष

अपराधिक इतिहास

वाहन चोरी के संबंध में थाना लोनी पर पंजीकृत अभियोग की संख्या-1, अन्य जानकारी की जा रही है।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

1.01 मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस एक्स-टेक रंग काला-ग्रे, आगे कोई नं0 प्लेट नही लगी है तथा पीछे लगी नं0 प्लेट पर रजि0 नं0 UP20 AB 4099 व जिसका चेसिस नं0 MBLHAW172NHH23455 व इंजिन नं0 – HA11EANHH55614

2 01 मोटरसाइकिल हीरो होण्डा सीडी डीलक्स कटी हुई रंग लाल काला रजि0 नं0 UP AB पर चेसिस नं0–MBLHA11ENC9C05797 व इंजिन नं0-HA11ECC9B25454

<u>गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम</u>

थाना लोनी पुलिस टीम